निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1940 (श0)

(सं0 पटना 933) पटना, सोमवार, 15 अक्तूबर 2018

सं० एम-4-53/2007-7730/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

15 अक्तूबर 2018

विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-306, दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017, 4573, दिनांक 04.07.2017, 8236 दिनांक 17.10.2017, 4443 दिनांक 14.06.2018 एवं 6439 दिनांक 28.08.2018 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

2. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 30.07.2018 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि निष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मूल्य अधिसीमा के अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी । केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, अतिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे । इसी आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(ख) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

3. उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(ख) में वर्णित प्रावधान के बाद परंतुक के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :-

"परंतु निष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मूल्य अधिसीमा के अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी। केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, बगैर निष्प्रयोजन के वाहन क्रय, अतिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के

लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।"

4. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 09.10.2018 की बैठक में मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

5. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी । वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र भी इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 933-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in